

भा. कृ. अनु. प., भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान,
अनुसंधान केन्द्र, कोटा - 324002 (राजस्थान)

वेब साईट हेतु विस्तृत विवरण

खुली नीलामी की (सील बन्द लिफाफे के द्वारा)की शर्तें

इस केन्द्र के प्रक्षेत्र में स्थित नीबू-40, चीकू-90, बेल-50 एवं आम-05 वृक्षों में लगे फलों की जैसी है जहां है के आधार पर खुली नीलामी (Open Auction) (सील बन्द लिफाफे के द्वारा) की जानी है। इस नीलामी की नियम व शर्तें निम्न प्रकार से हैं:

1. बोली राशि सील बन्द लिफाफे के द्वारा दिनांक 29.04.2021 को 3.00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। सील बन्द लिफाफे केन्द्र पर प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 29.04.2021 है। इच्छुक ठेकेदार वृक्षों के क्षेत्र का निरीक्षण छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक पूर्व अनुमति लेकर कर सकते हैं तथा बोली के लिफाफे खोलने वाले दिन दिनांक 29.04.2021 सांय 4.30 बजे उपस्थित रह सकते हैं।
2. नीलामी का कार्य केन्द्राध्यक्ष, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोटा द्वारा मनोनीत समिति के अधिकारी सम्पन्न करायेगे। उनका अधिकार होगा कि यदि बोली बोलने वालों से प्राप्त सील बन्द लिफाफों की संख्या 03 से कम होगी तो नीलामी अन्य किसी कार्य दिवस में की जायेगी।
3. नीलामी का प्रस्ताव सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करने वाले को सर्वप्रथम रु. 10,000/-पंजीकरण राशि/अमानत राशि के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि OIC, CSWCRTI, KOTA के पक्ष में हो जमा करवाने होंगे इसके पश्चात् ही उनके प्रस्ताव को नीलामी में शामिल किया जायेगा। लिफाफों को खोलने एवं अनुमोदन के पश्चात् अधिकतम बोली दाता को कुल राशि का आधा भाग कार्यालय में 07 दिन के अन्दर जमा करवाना होगा। राशि जमा नहीं करवाने पर बोली को निरस्त करते हुए अमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
4. एक अमानत राशि के लिये डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
5. सील बन्द लिफाफे के द्वारा नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा तथा नीलामी उनके पक्ष में की जायेगी।
6. असफल बोलीदाता को ई.एम.डी/अमानत राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा फलों की न्यूनतम आरक्षित मूल्य राशि निश्चित की गई है जिसे बन्द लिफाफे में सुरक्षित रखा गया है, आरक्षित राशि से अधिक राशि की बोली ही मान्य होगी
8. सफल बोलीदाता को 30 दिन पश्चात् कार्यालय में शेष राशि को जमा करवाना होगा। अमानत राशि को नीलामी राशि में समायोजित किया जा सकता है।
9. कार्यालय द्वारा अनुमति आदेश जारी होने के पश्चात् ही उक्त फलों को तोड़कर ले जाने की अनुमति होगी। समयावधि माह दिसम्बर, 2021 तक मान्य होगी।

10. वृक्षों के फलों को कार्यालय समयों में ही सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी की देख रेख में ले जाना होगा। बगीचे में सिंचाई एवं सफाई करने का जिम्मा ठेकेदार का होगा। हालांकि पानी केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। परन्तु किसी तकनीकी खराबी के कारण पानी उपलब्ध करवाने में हुई देरी के लिये केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
11. चौकीदारी की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। उद्यान एवं केन्द्र परिसर में किसी तरह का नुकसान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधि द्वारा पहुंचाने पर स्वयं ठेकेदार जिम्मेदार होगा। किसी भी अनहोनी घटना के लिये केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
12. पौध संरक्षण एवं अन्य जरूरी शस्य क्रियाएं केन्द्र द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं मान दण्डों के अनुसार ही की जावेगी। इसके लिये ठेकेदार द्वारा बताए कार्यों के प्रति केन्द्र बाध्य नहीं होगा।
13. किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर केन्द्राध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं सर्व मान्य होगा। केन्द्राध्यक्ष को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा सम्पूर्ण नीलामी प्रक्रिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रद्द करने का संपूर्ण अधिकार है।
14. सफल बोलीदाता का (सील बंद लिफाफे के द्वारा) के पास जी. एस.टी. /, पैन नम्बर/आधार नम्बर अनिवार्य है (छाया प्रति संलग्न करें)।
15. पूर्व में किसी भी सरकारी कार्यालय में बोली लगाने वाले रजिस्टर्ड ठेकेदार ही इस केन्द्र पर बोली लगा सकेंगे।
16. खुली नीलामी के संबंध में दिनांक 24.04.2021 को केन्द्र के व्याख्यान कक्ष में सांय 3.00 बजे रखी गई बैठक में ठेकेदार सम्मिलित हो सकते हैं।
17. नीलामी 60 दिन की अवधि के लिये मान्य रहेगी।
18. अन्य शर्तें मौके पर सुना दी जायेगी।

Ashoukumal
07/04/2021
केन्द्राध्यक्ष



भा. कृ. अनु. प., भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान,
अनुसंधान केन्द्र, कोटा - 324002 (राजस्थान)



कमाक:-1(45)/SOFP-02/2021-22/S&P/

दिनांक 8.4.2021

:: खुली निविदा ::

इच्छुक ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, डडवाडा, कोटा जं. कोटा के अनुसंधान फार्म में दिनांक 29.04.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रक्षेत्र में स्थित नीबू-40, चीकू-90, बेल-50 एवं आम-05 फलो की खुली नीलामी (Open Auction) प्राप्त होने वाले सील बन्द लिफाफे में अंकित राशि के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। सभी फलो की नीलामी एक मुश्त की जावेगी। जिसके लिये रु.10,000/- (पंजीकरण राशि) का डिमान्ड ड्राफ्ट OIC,CSWCRTI, KOTA के नाम से निविदा के साथ जमा कराना होगा। फलो को वृक्षों से तोडकर ले जाने की समयावधि माह दिसम्बर,2021 तक होगी। अन्य शर्तें निविदा खुलने वाले दिन दिनांक 29.04.2021 को सुनाई जावेगी। निविदा से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी वेबसाईट :www.cswcrtiweb.org पर से प्राप्त की जा सकती है।

केन्द्राध्यक्ष